नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 34/2022 जिला सीकर

1. किरण कंवर पत्नी औमसिंह
2. जुगल कंवर पुत्री भगवानसिंह
3. धनवीरसिंह पुत्र भगवानसिंह
4. प्रेमकंवर पुत्री बंशीलाल सिंह
5. बसुकंवर पुत्री भगवानसिंह
6. भागीरथ सिंह पुत्र बीरमसिंह
7. मोहनसिंह पुत्र औमसिंह
8. रूडमल सिंह पुत्र औमसिंह जर्ये पत्नी पूजा कंवर
9. शंकरसिंह पुत्र बंशीलाल जर्ये पत्नी ममता कंवर
10. सन्तोष कंवर पुत्री भगवानसिंह
11. सुमन कंवर पुत्री भगवानसिंह
12. सरोज कंवर पत्नी बीरमसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी रामनगर, तहसील व जिला–सीकर

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार जी सीकर, जिला–सीकर।
2. ग्राम पंचायत गूंगारा जर्ये सरपंच तहसील व जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी जी सीकर जिला–सीकर दिनांक 15.12.2021

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. रेस्पोडेन्ट नं. 2 श्री संजय शर्मा

निर्णय

दिनांक –25.05.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 15.12.2021 के खिलाफ खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ने ग्राम रामनगर, पटवार मण्डल गूंगारा तहसील सीकर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 415, 2473/417, 425, 422, 423, 421, 480, 2409/503, 2408/503, 502, 2488/500 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के

Scanned by CamScanner

पत्रांक राजस्व 16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4326–53/राजस्व/2016 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 416, 2473/417, 426, 422, 423, 421, 480, 2409/503, 2408/503, 502, 2488/500 में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 15.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री संजय शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम रामनगर तहसील सीकर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 2.27 हैक्टेयर में से दक्षिणी व पश्चिमी और रास्ते की मौका रिपोर्ट केवल मात्र फिल इन द ब्लेंक्स भरते हुए किया लेकिन कब मौका देखा कहीं भी कोई अंकन नहीं किया गया न प्रार्थीयान को कोई नोटिस दिया गया न उनके सामने कोई मौका देखा गया यह नहीं मौका रिपोर्ट पर जिन लोगों के हस्ताक्षर है उनके कहीं भी नाम पिता का नाम व किसी के भी द्वारा कोई दिनांक अंकित नहीं है। पुनः पटवारी हल्का ने फिल इन द ब्लेंक्स भरते हुए व कुछ खाली रखते हुए 16.11.2021 को प्रस्ताव बनाकर गिरदावर को भेजा गिरदावर द्वारा 16.11.2021 को हस्ताक्षर करते है एवं 16.11.2021 को तहसीलदार जी सीकर ने फिल इन द ब्लेक्टस भरकर उपखण्ड अधिकारी जी को अपनी अभिशंषा कर दी गई। यह कि उपखण्ड अधिकारी जी सीकर ने तहसीलदार जी सीकर को पटवारी हल्का से 14.12.2021 को अभियान में रिपोर्ट करने का पत्र जारी किया जिस पर उसी पर हस्ताक्षर अपठित से 15.12.2021 को रिपोर्ट की जाती है जिसमें उन्होंनें अन्य खसरा नम्बर की रास्ते की रिपोर्ट की जाती है व उसे बाद में ओवरराईटिंग करके खसरा नम्बर 415 किया जाता है जबकि खसरा नम्बर 415 के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट है ही नहीं। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से स्पष्ट होगा कि उन्होनें सभी कानून व नियमों को बलाए ताकर रखकर व न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय दिनांक 15.12.2021 को दिया है। पटवारी हल्का ने मौके की जांच के समय प्रार्थीयान को कोई नोटिस नहीं दिया न अधिनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस ही दिया एवं मौका रिपोर्ट, गिरादवर की रिपोर्ट व तहसीलदार जी की अभिशंषा जो प्रिन्टेड फार्म पर फिल इन द ब्लेंक्स (खाली स्थान भरकर) पेश की गई के आधार पर प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी जी के द्वारा 15.12.2021 को अपना आदेश प्रसारित किया कि जो सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतीकूल होने से निरस्तनीय है। प्रचलित रास्ता वह होता है जो आम रास्ता हो, यह आम रास्ता ने है न हो सकता, न आम रास्ते की कोई रिपोर्ट ही है। यह प्रार्थीयान की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने पटवार घर पर बैठे–बैठे ही पटवारी ने रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जब कि गिरदावर, पटवारी हल्का पटवार घर पर बैठे–बैठे ही पटवारी ने रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जब कि गिरदावर, पटवारी या तहसीलदार जी मौके पर गये ही नहीं न मौके का कोई नोटिस ही दिया गया गया है ऐसी स्थिति में निर्णय निरस्त निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने कोई जांच न कर पटवारी गिरदावर की रिपोर्ट व तहसीलदार जी की अभिशंषा को अकाट्‌य प्रमाण मानकर बिना पटवारी के बयान दर्ज किये निर्णय देने में भूल की है।

संभागीय
जयपुर

विवादित भूमि में प्रार्थीयान की फसल खडी है। एवं कभी कोई रास्ता न है न कभी रहा ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2021 को निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व ग्राम रामनगर, पटवार मण्डल गुंगारा तहसील सीकर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 415, 2473/417, 425, 422, 423, 421, 480, 2409/503, 2408/503, 502, 2488/500 के खातेदारों की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 16.11.2021 को तहसीलदार सीकर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का गुंगारा, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न् कर उप खण्ड अधिकारी सीकर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2021 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त रास्तें में 12 खाते हैं। जिसमें से सिर्फ खसरा नम्बर 415 को ही आपत्ति है। शेष किसी भी खातेदार ने कोई अपील नहीं की है। यह कदीमी रास्ता वर्षो से चालू है। इस रास्ते से 200 परिवार लाभान्वित हो रहे है। उनके द्वारा कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की है। ग्राम पंचायत में कोई आपत्ति नहीं की है। ग्राम–रामनगर के खसरा नम्बर 415 रकबा 2.27 है. सहित अन्य खसरेजात की भूमि में से प्रचलित रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा मौका देखकर बनाया गया तथा बाद जांच उक्त प्रस्ताव को उपखण्ड अधिकारी सीकर को प्रेषित कर रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की गई। तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शी व न्याय के सभी सिद्धान्तों की पालना करते हुए संपादित की गई है। पटवारी ने मौका देखकर व उपस्थित मौतबिरान को समझाकर फर्द मौका पर दस्तखत करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मौके पर रास्ता प्रचलित ही है यह रास्ता केवल खसरा नम्बर 415 तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य खसरा नं 2663/2473, 2669/425, 2677/422, 2680/423, 2678/422, 2667/421, 2671/480, 2661/2409, 2673/502, 2488/500 तक आगे रास्ता जाता है तथा इस रास्ते पर आम जन का आवागमन होता है व प्रचलित रास्ता है। भूमि पर मौके पर प्रचलित रास्ता होने के आधार पर मौका देखकर रास्ता प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। मौके पर रास्ता की भूमि पर फसल नहीं पायी गयी थी। राजस्व अभियान में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में जनहित को देखते हुये मौके पर प्रचलित रास्ता को ही रास्ता में दर्ज करने के आदेश जारी किये गये है। यह भी उल्लेखनीय है कि रास्ता दर्ज करने के आदेश में प्रार्थीगण की खातेदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा खातेदारी पूर्ववत प्रार्थीगण के नाम दर्ज रही है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया।

पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव दिनांक 16.11.2021 के अनुसार राजस्व ग्राम रामनगर, पटवार मण्डल गुंगारा तहसील सीकर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 415, 2473/417, 425, 422, 423, 421, 480, 2409/503, 2408/503, 502, 2488/500 में से प्रस्तावित रकबा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2021 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रास्तें में 12 खाते हैं। जिसमें से सिर्फ खसरा नम्बर 415 को ही आपत्ति है। शेष किसी भी खातेदार ने कोई अपील नहीं की है। यह कदीमी रास्ता वर्षो से चालू है। इस रास्ते से 200 परिवार लाभान्वित हो रहे है। ग्राम पंचायत में भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है। ग्राम रामनगर के खसरा नम्गर 415 रकबा 2.27 है. सहित अन्य खसरेजात की भूमि में से प्रचलित रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा मौका देखकर बनाया गया तथा बाद जांच उक्त प्रस्ताव को उपखण्ड अधिकारी सीकर को प्रेषित कर रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की गई। तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शी व न्याय के सभी सिद्धान्तों की पालना करते हुए संपादित की गई है। पटवारी ने मौका देखकर व उपस्थित मौतबिरान को समझाकर फर्द मौका पर दस्तखत करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रास्ता केवल खसरा नम्बर 415 तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य खसरा नं 2663/2473, 2669/425, 2677/422, 2680/423, 2678/422, 2667/421, 2671/480, 2661/2409, 2673/502, 2488/500 तक आगे रास्ता जाता है तथा इस रास्ते पर आम जन का आवागमन होता है व प्रचलित रास्ता है। भूमि पर मौके पर प्रचलित रास्ता होने के आधार पर मौका देखकर रास्ता प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। मौके पर रास्ता की भूमि पर फसल नहीं पायी गयी थी। राजस्व अभियान में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में जनहित को देखते हुये मौके पर प्रचलित रास्ता को ही रास्ता में दर्ज करने के आदेश जारी किये गये है। रास्ता दर्ज करने के आदेश में प्रार्थीगण की खातेदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा खातेदारी पूर्ववत प्रार्थीगण के नाम दर्ज रही है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर दिनांक 15.12.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner